उपविभाजन एवं अपखण्डन के दुष्परिणाम :—
(evils of sub division and fragmentation)

जोतों के उप-विभाजन एवं अपखण्डन का कृषि तथा किसानों की आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो निम्नांकित विवरण से स्पष्ट है :—

(i) अलाभकर कृषि (Uneconomic Farming) — अतिशय उपविभाजन के फलस्वरूप जोतों का आकार बहुत ही छोटा होते जा रहा है जिससे कृषक अपने साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते। कुछ खेत तो इतने छोटे होते हैं कि उनमें हल-बैल भी भलि-भाँति नहीं घूम पाते। देश के कुछ भागों में ऐसे भी खेत भी पाए जाते हैं जिनका आकार छोटा होने के कारण वे कृषि के योग्य नहीं रह पाते। उदाहरण के लिए, पंजाब की दुलीकलाँ (Dulikalan) नामक गाँव में 424 खेत ऐसे थे जिनका क्षेत्रफल 0.03 हेक्टर से भी कम थे। इस प्रकार उप-विभाजन के फलस्वरूप कृषि-कार्य अलाभकर एवं अनिश्चित तथा खर्चीला हो जाता है क्योंकि स्थायी व्यय (fixed cost) औसतन अधिक पड़ने लगता है। इससे साधनों का समुचित उपयोग भी नहीं हो पाता।

(ii) वैज्ञानिक कृषि तथा भूमि-सुधार में कठिनाई (Hampers improved agricultural practices) — जोतों के उपविभाजन तथा अपखण्डन से किसान न तो आधुनिक यन्त्रों का ही प्रयोग कर पाता है और न अन्य प्रकारों के सुधारों को ही लागू कर पाता है। अतः उत्पादन कम होने लगता है। वैज्ञानिक कृषि भी छोटी-छोटी जोतों में बिल्कुल असम्भव हो जाती है। रूस तथा अमेरिका में बड़ी-बड़ी जोतों के ~~फसल~~ फलस्वरूप ही आधुनिक औजारों का अधिकाधिक प्रयोग सम्भव हो पाया है।

(iii) कृषि-योग्य भूमि का ह्रास (Wastage of agricultural land) — जोतों के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होने के कारण बहुत सी भूमि थोड़ी आर तथा मेड़ आदि के रूप में बेकार चली जाती है। अनुमानतः यह कहा जाता है कि देश की

कृषि योग्य भूमि का लगभग 3 प्रतिशत भाग मेड़ों ने घेर रखा है। इसके फलस्वरूप बीज एवं खाद आदि को भी अत्यधिक बर्बादी होता है।

(iv) समय तथा शक्ति का व्यर्थ अपव्यय (Waste of Time and Energy) – जोतों के उपविभाजन एवं उपखण्डन के कारण एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में आने - जाने, हल - बैल ले जाने, रखवाली करने आदि में भी बहुत-सा समय यौंहि बेकार नष्ट हो जाता है। छोटी - छोटी जोतों के फलस्वरूप समय के साथ - साथ किसानों की शक्ति का भी व्यर्थ अपव्यय हो जाता है।

(v) अधिक मुकदमेबाजी (Leads to Litigation) – जोतों के छोटे - टुकड़ें में विभाजित होने से किसानों के बीच मेड़, रास्ता तथा चौहद्दी आदि के लिए प्राय: झगड़े हुआ करते हैं जिसके चलते गाँवों में मुकदमेबाजी को आवश्यक प्रोत्साहन मिलता है। गाँवों में पारस्परिक वैमनस्य बहुधा भूमि के कारण ही होता है जिससे मुकदमेबाजी को अनुचित प्रश्रय मिलता है।

(vi) सिंचाई की असुविधा – उपविभाजन तथा उपखण्डन के फलस्वरूप खेतों की सिंचाई में बहुत अधिक कठिनाई होती है। साथ ही, सिंचाई के लिए व्यय भी अधिक करना पड़ता है। किसान के खेत यत्र-तत्र बिखरे होते हैं, जिससे वह प्रत्येक स्थान में सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं कर पाता।

उपविभाजन तथा अपखण्डन के दोषों को दूर करने के उपाय (REMEDIAL MEASURES)

जोतों का उपविभाजन एवं अपखण्डन भारतीय कृषि के लिए समुचित ही एक अभिशाप है, अत: कृषि में स्थायी सुधार लाने के लिए इनका निराकरण नितान्त आवश्यक है। उपविभाजन एवं अपखण्डन के दोषों को दूर करने के लिए सामान्यत: दो प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं—

Scanned by CamScanner

1. आर्थिक जोतों का निर्माण (Creation of Economic Holdings) — वर्तमान परिस्थितियों में भूमि-व्यवस्था में सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है। सुधार के इन विभिन्न कार्यक्रमों में उपविभाजन तथा अपखण्डन की समस्या का निराकरण एवं आर्थिक जोतों का निर्माण प्रमुख हैं। आर्थिक जोतों का निर्माण निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है।

(क) जोतों की चकबन्दी के द्वारा,

(ख) सम्पूर्ण भूमि का सामाजीकरण कर लिया जाए और तब उसमें सामूहिक कृषि के आधार पर खेती की जाए। रूस तथा इजरायल में प्रायः इसी प्रकार की व्यवस्था पायी जाती है।

(ग) किसानों की जोतों को एक में मिलाकर सहकारी कृषि अथवा संयुक्त कृषि-व्यवस्था के आधार पर खेती का कार्य किया जाए।

2. आर्थिक जोतों को बनाए रखना (Preservation of Economic Holdings) — जब उपरोक्त तरीकों में से किसी एक के द्वारा आर्थिक जोत का निर्माण हो जाता है उसे पुनः उपविभाजन से बचाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रयत्नों की आवश्यकता होगी—

(क) वर्तमान उत्तराधिकार के नियम में परिवर्तन लाकर इंगलैंड के ज्येष्ठाधिकार (Law of Primogeniature) के आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे की भू-सम्पत्ति का अधिकार पिता के बाद केवल बड़े लड़के को ही मिले। किंतु ऐसा करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था करनी होगी।

(ख) एक सीमा के बाद जोतों का उपविभाजन को कानून द्वारा रोक देना चाहिए। मिस्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जोतों का विभिन्न सदस्यों के बीच उपविभाजन होना आवश्यक है, किंतु कृषि का कार्य किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी सदस्यों के बदले में किया जाता है।

Scanned by CamScanner

(ग) बिखरी हुई जोतों की चकबन्दी सहकारी अथवा संयुक्त कृषि के द्वारा। अन्य देशों में इस प्रकार की कृषि-व्यवस्था को विशेष सफलता मिलती है। किन्तु इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर्थिक जोत का निर्माण एवं पुनः विभाजित होने से बचाये रखने के कार्य बहुत सारी कठिनाइयाँ है। अतएव इस कार्य के लिए जोतों की चकबन्दी एवं सहकारी कृषि की स्थापना ही अधिक उपयुक्त जान पड़ती है।

Scanned by CamScanner